



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने वाले अभियुक्त को 04 वर्ष के कठोर कारावास व ₹25,000 अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु०अ०सं०- 285/2021 धारा- 363,366 भा०द०सं० व 08 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त कृष्णा उर्फ भूरी यादव पुत्र दयाराम यादव नि० मलहौवा हालपता छोटी जुलेहटी थाना राठ जनपद हमीरपुर को धारा-363 भा०द०सं० के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुये 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25000 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री अवधनरेश
सिंह चन्देल



विवेचक-
उ०नि० अवनेन्द्र सिंह
यादव



पैरोकार- थाना राठ
का० प्रदीप भार्गव